रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1512] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 18, 2018/चैत्र 28, 1940
No. 1512] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 18, 2018/CHAITRA 28, 1940

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2018

का. आ. 1666(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) (जिसे इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 29 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का. आ. 952 (अ) के तहत मुख्य न्यायाधीश, नगर सत्र न्यायालय, कलकत्ता के न्यायालय को उक्त अधिनियम की धारा-11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनार्थ अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था, जिसका न्याय क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण पश्चिम बंगाल राज्य (दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी तथा कूच बिहार को छोड़कर) था;

और जबकि, श्री कुंदन कुमार कुमाई, मुख्य न्यायाधीश, नगर सत्र न्यायालय, कलकत्ता, जिनको भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 9 जून, 2017 की अधिसूचना सं. का.आ. 1864 (अ) के तहत उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, का स्थानातंरण हो गया है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम 2008 (2008 का 34) की धारा-11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 9 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1864 (अ) तथा 3 जनवरी, 2018 की अधिसूचना का. आ. 42 (अ) का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन कार्यों के जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, कलकत्ता उच्च न्यायालय के माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर केन्द्र सरकार, श्री प्रसेनजीत बिस्वास,

मुख्य न्यायाधीश, नगर सत्र न्यायालय, कलकत्ता को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए एतदद्वारा न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009-आईएस-IV(पार्ट-V)]

सुधीर कुमार सक्सेना, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th April, 2018

S.O. 1666(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the National Investigation Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government had, *vide* notification number S.O. 952 (E) dated the 29th April, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), notified the Court of the Chief Judge, City Sessions Court, Calcutta, as the Special Court for the purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act having jurisdiction throughout the State of West Bengal (except the Districts of Darjeeling, Jalpaiguri and Cooch Bihar) for the trial of Scheduled Offences;

And whereas, Shri Kundan Kumar Kumai, Chief Judge, City Sessions Court, Calcutta, who was appointed as the Judge to preside over the said Special Court *vide* notification number S.O. 1864 (E) dated the 9th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), has been transferred;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 11 of the National Investigation Act, 2008 (34 of 2008) and in supersession of the notification number S.O. 1864 (E), dated the 9th June, 2017 and S.O. 42(E) dated the 3rd January, 2018, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Hon'ble Acting Chief Justice, High Court, Calcutta, hereby appoints Shri Prasenjit Biswas, Chief Judge, City Sessions Court, Calcutta, as the Judge to preside over the said Special Court.

[F.No. 17011/50/2009/IS-IV (Part-V)]

SUDHIR KUMAR SAXENA , Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.04.21 09:39:52 +05'30'